

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ4(ई)(एन-577/2013)/अलेसे 111/2185


दिनांक :- 23/01/2024

कार्यालय आदेश

श्री नितेश कुमार चौधरी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 (लिक नं.-10533) कार्यालय आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर के आवेदन पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम खण्ड-1 के नियम-93 के अन्तर्गत रूपान्तरित अवकाश निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है:-

क्रम संख्या	रूपान्तरित अवकाश अवधि (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार)	कुल दिवस
1.	12.12.2024 से 26.12.2024 तक	15 दिवस (30 अर्द्धवेतन अवकाश)

यह निदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित है।


(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

क्रमांक :- एफ4(ई)(एन-577/2013)/अलेसे 111/2185

दिनांक:- 23/01/2024

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि स्वीकृत रूपान्तरित अवकाश आहरित करते हुए नियमानुसार सेवा पुस्तिका में इन्द्राज करावें।
2. श्री नितेश कुमार चौधरी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 आयुक्त कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)